विलोपित विलोपित विलोपित

माननीय न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मंडल केन्द्र ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /निगरानी 15 नि (3379/III/15

श्री ... द्वारा आज दि. 19-10-15 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

ग्राम पंचायत मोमन बड़ोदिया द्वारा सरपंच जगदीश पिता श्री मांगीलाल, आयु–51 वर्ष व्यवसाय–सरपंच निवासी–मोमन बड़ोदिया जिला शाजापुर म.प्र. ------ आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन -----अनावेदक

पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ न्यायालय क़लेक्टर महोदय, जिला शाजापुर के प्रकरण क्रमांक 51/पुनर्विलोकन/14–15 में आदेश दिनांक 28/09/2015 से असंतुष्ट एवम् दुखित होकर निम्न कारणों के आधार पर अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत करता है :–

01. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जेर निगरानी विधि, विधान एवम् रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये ज़ाने योग्य है ।

02. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 51 म.प्र.भू–राजस्व संहिता के प्रावधानों के विपरीत जाकर आवेदक को सुने बगैर जो आदेश दिया हैं वह निरस्त किये जाने योग्य है ।

03. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों का पालन नही किया है अर्थात् आवेदक ग्राम पंचायत को सुनवाई का किसी भी प्रकार का कोई अवसर नही दिया व आदेश पारित कर दिया इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्ती योग्य है ।

04. यह कि, भू–राजस्व संहिता में यह आवश्यक प्रावधान है कि संबंधित पक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देने के पश्चात् ही पुनर्विलोकन की अनुमति दी जा सकती हैं, इसके विपरीत धारा 51 भू–राजस्व संहिता के प्रावधानों के विपरीत जाकर कलेक्टर महोदय द्वारा आवेदक को सुने बगैर जो आदेश दिया है वह निरस्त किये जाने योग्य है।

जगदीश पाटीदार
सरपंच
ग्राम पं. मो. बड़ोदिया

निरन्तर......2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3379–तीन/2015 जिला शाजापुर

ग्राम पंचायत मोमन विरूद्ध म0प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-12-15	आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत कलेक्टर शाजापुर के प्रकरण कमांक 51/पुर्नविलोकन/2014–14 में पारित आदेश दिनांक 28–09–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ प्रकरण में संलग्न आदेश की सत्यापित प्रति के एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर शाजापुर ने आदेश दिनांक 28–9–15 को आवेदक ग्राम पंचायत को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एकपक्षीय रूप से अनुविभागीय अधिकारी की ओर से प्रेषित प्रकरण कमांक 02/अ–66/2014–15 में तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 07–7–15 के पुर्नविलोकन की अनुमति दी गई है। कलेक्टर के आदेश में आवेदक को सूचना दिये जाने अथवा उसकी उपस्थित नहीं होने का कोई लेख नहीं है इससे स्पष्ट होता है कि कलेक्टर द्वारा किसी प्रकार सूचना आवेदक को प्रदान नहीं की गई है। यदि कलेक्टर को अनुविभागीय अधिकारी के तत्कालीन आदेश में	

कोई वैधानिक त्रुटि परिलक्षित थी तो उसे विधिअनुसार संबंधित पक्षकार को सूचना देते हुये सुनवाई का अवसर देना चाहिए था तत्पश्चात पुर्नविलोकन अनुमति देने अथवा न देने संबंधी निष्कर्ष निकालना चाहिए था। इसी संबंध में 2000 आर एन 76 शहीद अनवर विरूद्ध राजस्व मण्डल तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

''भू–राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.); धारा 52 परंतुक (एक)–पुनर्विलोकन के लिए मंडल अथवा अन्य किसी राजस्व अधिकारी द्वारा मंजूरी –दूसरे पक्ष को सूचना और सुनवाई का अवसर दिए बिना प्रदान नहीं की जा सकती।''

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के प्रकाश में कलैक्टर शाजापुर का आदेश उचित नहीं कहा जा सकता है। अतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया ही स्वीकार की जाकर कलेक्टर शाजापुर का आदेश दिनांक 28–9–2015 निरस्त किया जाता है। प्रकरण कलेक्टर शाजापुर को उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देकर पुर्नविलोकन अनुमति के संबंध में सकारण आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य